(वाद सं0–4595/17)

30.09.2019

परिवादी, शिवकुमारी देवी स्वयं उपस्थित हैं।

पांच बार स्मारित किये जाने के बावजूद भी पुलिस अधीक्षक, सारण से मांगा गया वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुलिस अधीक्षक, सारण का उक्त कृत्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है।

प्रस्तुत मामला सारण जिलान्तर्गत एकमा थाना के थाना प्रभारी, नीरज कुमार द्वारा परिवादी के पति एवं पुत्र को तीन दिनों तक थाना हाजत में रखने, मारपीट करने तथा परिवादी के पुत्र एवं पति से रुपये,50,000/– एवं मोवाईल छीन लेने से संबंधित है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए पुलिस अधीक्षक, सारण से दिनांक–23.12.2019 के पूर्व मामले से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग करें साथ ही साथ उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाय कि अगर उक्त तिथि तक आयोग को प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो आयोग को भा0द0स0 की धारा, 176 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिए उनके विरूद्ध विधिनुसार कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु वाध्य हो जाना पड़ेगा।

आज परिवादी के उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि के संबंध में उसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–26.12.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक